न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
3 / 27	10.07.2024	30.07.2025

बउनवान

01. यादराम पुत्र धन्ना जाति अहीर निवासी ग्राम कैरवावाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मालाखेडा जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

—:निर्णयः—

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 683 रकबा 0.96 हैक्टेयर, 881/841 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 882/841 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरवाडी तहसील मालाखेडा प्रार्थी के पिता धन्ना का सम्पूर्ण हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी का है। प्रार्थी के पिता धन्ना का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके बाद से ही प्रार्थी उक्त आराजीयात पर बतौर वारिस काबिज दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के सीमान्त कृषकगण प्रार्थी से रंजिश रखते है तथा सीमान्त कृषकगण प्रार्थी की विवादित आराजीयात मे मिलाना चाहते है। जिसके लिये प्रार्थी की आराजीयात की डोल तोडकर जबरन अपनी आराजी मे मिलाने का कई बार असफल प्रयास कर चुके है। इस पर प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात की पैमाईस हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार मालाखेडा द्वारा विवादित आराजी की दिनांक 24.06.2024 को पैमाईस करवाई गयी। सीमान्त कृषकगण प्रार्थी को विवादित आराजी मे जबरन अतिक्रमण व अतिचार कर अपनी आराजी मे मिलाना चाहते है। जिससे प्रार्थी व सीमान्त कृषकगण के मध्य हमेशा विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 683 रकबा 0.96 हैक्टेयर, 881/841 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 882/841 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरवाडी तहसील मालाखेडा का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के तहसीलदार मालाखेडा को आदेश सादिर फरमाये।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मालाखेडा से पैमाईस रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपने पत्रांक–भू.अ./2025/587 दिनांक–20.02.2025 द्वारा मूल मौका पर्चा दिनांक 24.06.2024 भिजवाया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या संख्या 77 खसरा नम्बर 683 रकबा 0.96 हैक्टेयर, 881/841 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 882/841 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरवाडी तहसील मालाखेडा की पत्थरगढी का निवेदन किया है। ग्राम कैरवाडी की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 77 मे वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 683 रकबा 0.96 हैक्टेयर, 881/841 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 882/841 रकबा 0.93 हैक्टेयर के धन्ना पुत्र झूंथा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी विवादित आराजी के खातेदार ही दर्ज रिकार्ड नही है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक खातेदार ही अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईस व पत्थरगढी हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। प्रार्थी अभी विवादित आराजी के खातेदार दर्ज रिकार्ड नही है। प्रार्थी के अलावा और कौन–कौन मृतक धन्ना के वारीसान है इसका भी पत्रावली मे कोई उल्लेख नही है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने पर खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनाक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)